संख्या- 5 /2017/13आईडब्ल्यूएमपी /85-परती-2016-30(परती)/2014टी.सी.

प्रेषक,

सुरेश चन्द्रा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
स्टेट लेविल नोडल एजेन्सी,
अष्टम तल, एल्डिको कापरेट टावर,
विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

परती भूमि विकास विभाग **लखनऊ, दिनांक 10 मार्च 2017**

विषयः- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी.एम.के.एस.वाई.) वाटरशेड कम्पोनेन्ट के अन्तर्गत समेकित वाटरशेड प्रबन्धन कार्यक्रम (आई. डब्ल्यू.एम.पी.) हेतु स्वीकृत परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अवमुक्त की गयी प्रथम किस्त की धनराशि रू0 15.83 करोड के सापेक्ष परिवर्तित फण्डिग पैटर्न् के आधार पर अवशेष राज्यांश रू0 2.411 करोड की वित्तीय स्वीकृत निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, नई दिल्ली के अर्दशासकीयपत्र संख्या-डी0ओ0 32/पीएसओ/एफएस/2015, दिनांक 28 अक्टूबर, 2015 एवं अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या- एच-11012/8/2016-डीपीएपी, दिनांक 22 मार्च, 2016 के क्रम में आपके पत्र संख्या-29/एसएलएनए-251/आईडब्लूएमपी/बजट/2016-17, दिनांक 20 जनवरी, 2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-83 के लेखाशीर्ष "2501-ग्राम विकास के लिये विशेष कार्यक्रम-05-बंजर भूमि विकास-789- अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना- 01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0102-समेकित वाटरशेड प्रबन्धन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.) (के.90/रा.10-के+रा.)-27-.सब्सिडी'' के अन्तर्गत प्राप्त केन्द्रांश रू0 15.83 करोड (रूपया पन्द्रह करोड तिरासी लाख मात्र) के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 के उपरोक्त लेखाशीर्षक के अन्तर्गत रू0 149100 हजार (चौदह करोड् इक्यानवे लाख मात्र) की बजट व्यवस्था के अनुरूप उक्त योजनान्तर्गत शासनादेश संख्या-86आईडब्ल्यूएमपी/85-परती-2015-30(परती)-2014टी.सी., दिनांक 18 दिसम्बर, 2015 द्वारा (90 प्रतिशत केन्द्रांश रू0 134190 हजार*10 प्रतिशत राज्यांश रू0 14910 हजार) अर्थात कुल रू0 149100 हजार (रू0 चौदह करोड़ इक्यानवे लाख मात्र) की वित्तीय स्वीक़ति निर्गत की जा चुकी है। भारत सरकार द्वारा अब फण्डिंग पैटर्न के060:रा040 किये जाने के फलस्वरूप योजनान्तर्गत प्राप्त केन्द्रांश रू0 15.83 करोड के सापेक्ष अवशेष 30 प्रतिशत राज्यांश की धनराशि रू0 90590 हजार (नौ करोड पांच लाख नब्बे हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-10/2016/10/आईडब्लूएमपी /85-परती-2016-30(परती)/2014टी.सी, दिनांक 16-05-2016 द्वारा प्रदान की गयी है। भारत सरकार द्वारा प्राप्त केन्द्रांश रू0 रू0 15.83 करोड में से 90 प्रतिशत केन्द्रांश रू0 134190 हजार को घटाते हुए अवशेष केन्द्रांश रू0 रू0 24110 हजार (दो करोड इक्तालीस लाख दस हजार मात्र) बनता है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत उक्त लेखाशीर्षक संख्या- "2501-ग्राम विकास के लिये विशेष कार्यक्रम-05-बंजर भूमि विकास-789- अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0102-समेकित वाटरशेड प्रबन्धन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.) (के.50/रा.50-के.+रा.)-27-सब्सिडी'' के अन्तर्गत रू0 528750 हजार (बावन करोड़ सत्तासी लाख् पचास हजार मात्र) का प्राविधान किया गया है उक्त प्राविधानित धनराशि में से अवशेष 30 प्रतिशत राज्यांश रू0 90590 हजार (नौ करोड़ पांच लाख नब्बे हजार मात्र) को घटाते हुए अवशेष प्राविधानित धनराशि रू0 438160 हजार (तेतालीस करोड इक्यासी लाख साठ हजार मात्र) में से अवशेष प्रस्तावित केन्द्रांश रू0 24110 हजार (दो करोड इक्तालीस लाख दस हजार मात्र) की धनराशि श्री राज्यपाल महोदय आपके निर्वतन पर रखे जाने की निम्न शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-.

(1) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-8/2015/बी-1-4058/दस-2015-13/2015, दिनांक 09 नवम्बर, 2015 मे दिये गये दिशानिदेर्श के आलोक मे परिवर्तित फण्डिंग पैटर्न एवं राज्य सरकार पर पडने वाले अतिरिक्त व्यय भार का प्रस्ताव मा0 मंत्रि परिषद के अनुमोदन हेतु शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध करायेगें ताकि शासन द्वारा मा0 मंत्रि परिषद का अनुमोदन प्राप्त करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकें। उक्त के अतिरिक्त भारत सरकार से उक्त योजना का फण्डिंग पैटर्न पूर्ववत(के090:रा010) करने का निरन्तर प्रयास जारी रखने का कष्ट करें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, स्टेट लेवल नोडल एजेन्सी, गोमतीनगर, लखनऊ द्वारा धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जाएगा। योजना के समाप्त होने पर अवशेष धनराशि के सम्बन्ध में भारत सरकार/राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(3) विभाग योजना के कार्यान्वयन हेतु सभी स्तरों पर अपेक्षित कार्यवाही को स्पष्ट कर देंगे।

(4) उक्त धनराशि का उपयोग योजना की अनुमोदित कार्य योजना के अनुरूप भारत सरकार के दिशा निर्देशों/गाईड लाइन एवं संगत नियमों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा तथा धनराशि का व्यय उन्हीं मदों पर किया जायेगा जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है।

(5) योजनान्तर्गत व्यय की जाने वाली उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर भारत सरकार/राज्य सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा तथा योजनान्तर्गत कराये गये कार्यों की मासिक आधार पर प्रगति रिपोर्ट शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

2 उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय.व्ययक के अनुदान सं0-83 के लेखाशीर्ष ''2501-ग्राम विकास के लिये विशेष कार्यक्रम-05-बंजर भूमि विकास-789- अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0102-समेकित वाटरशेड प्रबन्धन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.) (के.50/रा.50-के.+रा.)27-सब्सिडी'' के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च , 2016 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुपालन में निर्गत किये जा रहे है। उक्त कार्यालय ज्ञाप में उल्लिखित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(सुरेश चन्द्रा)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 5 /2017/13/आईडब्ल्यूएमपी /85-परती-2017-30(परती)/2014टी.सी., तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- उप महानिरीक्षक वन, भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग, 11वा ब्लाक छठा तल, लोधी रोड, नई दिल्ली, 110003 को उनके पत्र संख्या-के-11013/19/2013/आईडब्लूएमपी (उत्तर प्रदेश) (क्रमांक-2/उत्तर प्रदेश/2015-16/आई.डब्लू.एम.पी.), दिनांक 31 अगस्त, 2015 एवं एच-11012/8/2016-डीपीएपी, दिनांक 22 मार्च, 2016 के सन्दर्भ में।

2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय आडिट प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।

3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

4- आहरण एवं वितरण अधिकारी, एस0एल0एन0ए0, विभूति खण्ड गोमतीनगर, लखनऊ।

5- नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-1/वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0-1/समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ),उ0प्र0शासन ।

6- अध्यक्ष एवं प्रशासक, शारदा सहायक कमाण्ड परियोजना, 23, सी, गोखले मार्ग, लखनऊ।

7- अध्यक्ष एवं प्रशासक, रामगंगा कमाण्ड परियोजना, 177-एच-2/193 पाण्डुनगर, कानपुर।

8- मुख्य वित्तीय सलाहकार, शारदा सहायक समादेश परियोजना, लखनऊ/रामगंगा कमाण्ड परियोजना, कानपुर।

9- प्रशासनिक अधिकारी, स्टेट लेवल डाटा सेन्टर आईडब्लूएमपी, अष्टम तल, एल्डिको, कोर्पोरेट टावर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

10- संयुक्त निदेशक, समादेश बन्धु, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।

11- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(हरिश्चन्द्र गौतम)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।